The Coconut Development Board Employees (Conditions of Service) Regulations, 2003

S.O.1318(E) dated the 18th November 2003 - In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with clause (b) of Sub-section (2) of Section 20 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Coconut Development Board, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations, namely:-

1. Short title, commencement and application:- (1) These Regulations may be called the Coconut Development Board Employees (Conditions of Service) Regulations, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to all the employees of the Board, except the Chairman and other officers appointed by the Central Government under clause (a) of sub-section (4) of Section 4 and sub-sections (2) and (4) of Section 7 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), and the persons employed by the Board on contract basis or on deputation, in respect of whom matters are regulated by the contract or by the terms of deputation, as the case may be.

2. Definitions:- In these Regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979);

(b) "Appointing Authority", in relation to an employee of the Board, means the authority empowered to make appointments or promotions in respect of various categories of posts referred to in Rules 16 and 19 of the Coconut Development Board Rules, 1981;

(c) "Board" means the Coconut Development Board established under Section 4;

(d) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(e) "Committee" means a Committee appointed by the Board under Section 9;

(f) "employee of the Board" means any person in the service of the Board as shown in column (2) of Schedule I, other than the Chairman and the Officers appointed under clause (a) of sub-section (4) of Section 4 and sub-section (2) and (4) of Section 7;

(g) "pay" means the pay as defined in the Rules applicable to the Central Government servants of corresponding scale of pay as given in column (3) of Schedule I;

(h) "post" means a post as specified in the Coconut Development Board Recruitment Regulations, 1984, as amended from time to time.

(i) "Schedule" means the Schedule annexed to these Regulations.

(j) "Secretary" means the Secretary of the Board.

(k) "Section" means a Section of the Act.

3. Employees of the Board:- The nature and categories of employees of the Board and the scales of pay thereof shall be as specified in the Coconut Development Board Recruitment Regulations, 1984.

4. Pay, allowances and other conditions of service of employees:- (1) The scale of pay of the employees of the Board shall be as specified in the Coconut Development Board Recruitment Regulations, 1984.

IndiaCode

(2) The rules and orders for the time being in force, applicable to the offices and employees, holding posts of corresponding scales of pay under the Central Government, shall regulate the conditions of service in respect of probation, temporary service, seniority, confirmation, lien, termination of service, pay and allowances, house rent allowance, transport allowance, joining time, joining time pay, gratuity, age of superannuation, penisonary benefits, encashment of leave, medical facilities, leave travel concession, children's educational allowance, bonus, and other conditions of service of the employees of the Board. **Provided that the pensionary benefits, if any, payable to the persons appointed after the date of commencement of these Regulations shall be regulated as per the instructions issued by the Ministry of Finance from time to time in respect of autonomous bodies under the Central Government.**

5. Leave Rules:- (1) The leave to the employees shall be regulated in accordance with t he Central Civil Service (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time and the instructions or orders issued by the Central Government in this regard.

(2) The authorities competent to grant various kinds of leave shall be as per Schedule I.

6. Posting and Transfers:- (1) The postings and transfers of all employees shall be made by the Chairman, who may, delegate this power to any other officer subject to such conditions as he thinks fit.

(2) All employees shall be liable to serve anywhere in India.

(3) The Chairman or any other officer duly authorized by him may, in public interest, transfer any employee from any post in any one unit to any other equivalent post in another unit or transfer any employee in one unit to another unit along with the post.

7. Deputation:- (1) The employees of the Board may be sent on deputation to other organizations with the prior approval of the Chairman.

(2) The terms and conditions of deputation of such employees shall be determined in accordance with the rules of the Central Government as amended from time to time.

8. Travelling Allowance:- Travelling allowance shall be admissible to every employee of the Board who is required to proceed on tour, or on transfer in connection with his official duties at the same rates as are admissible to the Central Government servants of the corresponding scale of pay.

9. Conduct, Discipline, Appeal and Review:- (1) In all matters relating to discipline, appeal and review in respect of the employees of the Board, the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 as applicable to Central Government employees of corresponding grade shall apply.

(2) The authority to impose penalties for the purpose of discipline and appeal in respect of various categories of employees of the Board shall be specified in Schedule II.

(3) In all matters relating to conduct in respect of the employees of the Board, the Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964 as applicable to Central Government employees of corresponding grade shall apply.

10. Interpretation:- If any doubt or difficulty arises in interpreting these Regulations, or in giving effect to them, the Board or the Chairman may, in consultation with the Central Government, issue general instructions for the purpose of removing such difficulty.

11. Power to relax:- Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, in consultation with the Central Government, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

Indiacode

12. Matter with respect to which no provision has been made:- Matters relating to the conditions of service of employees of the Board with respect to which no provisions has been made in these Regulations, shall be referred to the Central Government for its decision.

13. Saving:- The Coconut Development Board Employees (Conditions of Service) Regulations, 2003 shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done or action taken by the Board under the provisions of the Coconut Development Board Rules, 1981 and the Coconut Development Board Regulations, 1982 in respect of the employees of the Board, in accordance with such Rules, Regulations, orders or instructions as were applicable to the employees of the Central Government of the corresponding grades or status stationed at those places.

IndiaCode

SCHEDULE - I

[See Regulation 5(2)]

Sl. No.	Category	Casual Leave/ Restricted Holiday	Earned Leave/ Half Pay Leave/ Commuted Leave/ Maternity/Paternity Leave and Quarantine Leave	Extraordninary/ Special Casual Leave/ Study Leave/ Leave not due/ Special Disability Leave/Hospital Leave
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Headquarters**			
(i)	Group 'A'	Chairman	Chairman	Chairman
(ii)	Group 'B'	Secretary	Secretary	Chairman
(iii)	Group 'C'	Section Heads	Secretary	Chairman
(iv)	Group 'D'	Section Heads	Secretary	Chairman
2.	**Regional Offices**			
(i)	Group 'A'	Chairman	Chairman	Chairman
(ii)	Group 'B'	Director	Director	Chairman
(iii)	Group 'C'	Director	Director	Chairman
(iv)	Group 'D'	Director	Director	Chairman
3.	**State Centres**			
(i)	Group 'A'	Chairman	Chairman	Chairman
(ii)	Group 'B'	Deputy Director	Deputy Director	Chairman
(iii)	Group 'C'	Deputy Director	Deputy Director	Chairman
(iv)	Group 'D'	Deputy Director	Deputy Director	Chairman
4.	**Demonstration-cum-Seed Production Farms**			
(i)	Group 'A'	Director, Regional Office under whom the Farm is functioning	Director, Regional Office under whom the Farm is functioning	Chairman
(ii)	Group 'B'	Director, Regional Office, Deputy Director, State Centre under whom the Farm is functioning	Director, Regional Office under whom the Farm is functioning	Chairman
(iii)	Group 'C'	Senior Farm Manager/ Farm Manager	Deputy Director State Centre controlling the Farm	Chairman
(iv)	Group 'D'	Senior Farm Manager/ Farm Manager	Deputy Director State Centre controlling the Farm	Chairman

Note: In the event of absence of Chairman for a continuous period of 15 days and above, the powers for granting leave exercisable by him shall be exercised by the Chief Coconut Development Officer.

IndiaCode

SCHEDULE - II

[See Regulation 9(2)]

Competent Authorities for the purpose of Discipline and Appeal

Category of employees	Appointing authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose	Appellate authority	Revision
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Group 'A'	Board	Board - all penalties	Secretary, Department of Agriculture and Cooperation	Minister incharge of Agriculture and Cooperation
		Chairman - Minor penalties [(I) to (iv) of Rule 11 of the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965]	Board	Secretary, Department of Agriculture and Cooperation
Group 'B'	Board	Board - all penalties	Secretary, Department of Agriculture and Cooperation	Minister incharge of Agriculture and Cooperation
		Chairman - Minor penalties [(I) to (iv) of Rule 11 of the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965]	Board	Secretary, Department of Agriculture and Cooperation
Group 'C'	Chairman	Chairman - all penalties	Board	Secretary, Department of Agriculture and Cooperation
		Secretary, Coconut Development Board - Minor penalties [(I) to (iv) of Rule 11 of the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965]	Chairman	Board
Group 'D'	Chairman	Chairman - all penalties	Board	Secretary, Department of Agriculture and Cooperation
		Secretary, Coconut Development Board - Minor penalties [(I) to (iv) of Rule 11 of the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965]	Chairman	Board

[F.No.14-14/89-Hort.VI & F.No.273/91-Admn./CDB]

H.P. SINGH, Chairman, Coconut Development Board

IndiaCode

नारियल विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियम, 2003

का.आ.1318 (अ) दिनांक 18 नवंबर 2003 - नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 20 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नारियल विकास बोर्ड केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, आरंभ और अनुप्रयोगः- (1) इन विनियमों को नारियल विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियम, 2003 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये बोर्ड के सभी कर्मचारियों, सिवाय अध्यक्ष और नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) और धारा 7 की उप-धारा (2) तथा (4) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों के, और बोर्ड द्वारा अनुबन्ध के आधार पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों के, जिनके संबंध में मामले अनुबन्ध द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति की शर्तों द्वारा, जैसा भी मामला हो, विनियमित होते हैं, को लागू होंगे।

2. परिभाषाएंः- इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) है;

(ख) बोर्ड के किसी कर्मचारी के संबंध में "नियोक्ता प्राधिकारी" से तात्पर्य नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम 16 और 19 में उल्लिखित पदों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में नियुक्तियां अथवा प्रोन्नतियां करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारी है;

(ग) "बोर्ड" से तात्पर्य धारा 4 के अंतर्गत स्थापित नारियल विकास बोर्ड है;

(घ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य बोर्ड का अध्यक्ष है;

(ङ) "समिति" से तात्पर्य धारा 9 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति है;

(च) "बोर्ड के कर्मचारी" से तात्पर्य अनुसूची 1 के स्तंभ (2) में दर्शाए गए बोर्ड की सेवा में किसी भी व्यक्ति से है, सिवाय अध्यक्ष और धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (क) और धारा 7 की उपधारा (2) और (4) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों के;

(छ) "वेतन" से तात्पर्य अनुसूची 1 के स्तंभ (3) में दिए गए संगत वेतनमान के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रयोज्य नियमों में परिभाषित वेतन है;

(ज) "पद" से तात्पर्य समय-समय पर संशोधित नारियल विकास बोर्ड भर्ती विमियम, 1984 में विनिर्दिष्ट पद है;

(झ) "अनुसूची" से तात्पर्य इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची है;

(ञ) "सचिव" से तात्पर्य बोर्ड के सचिव है;

(त) "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा है;

3. बोर्ड के कर्मचारीः- बोर्ड के कर्मचारियों की किस्म और श्रेणियां तथा उनके वेतनमान नारियल विकास बोर्ड भर्ती विनियम, 1984 में विनिर्देशन के अनुसार होगी।

4. कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तेंः- (1) बोर्ड के कर्मचारियों का वेतनमान नारियल विकास बोर्ड भर्ती विनियम, 1984 में दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार होंगे।

IndiaCode

(2) केन्द्र सरकार के अंतर्गत संगत वेतनमानों में पद धारण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य इस समय लागू नियम और आदेश बोर्ड के कर्मचारियों की परिवीक्षा, अस्थाई सेवा, वरीयता, पुष्टि, ग्रहणाधिकार, सेवा की समाप्ति, वेतन तथा भत्ते, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, कार्यग्रहण समय, कार्यग्रहण समय के वेतन, उपदान, सेवानिवृत्ति की आयु, सेवानिवृत्ति लाभ, छुट्टी का नकदीकरण, चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी यात्रा रियायत, बाल शिक्षा भत्ता, बोनस और अन्य सेवा की शर्तों को विनियमित करेंगे। **बशर्ते कि इन विनियमों के शुरू होने की तारीख के बाद नियुक्त किए गए व्यक्तियों को देय सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई हों, केन्द्र सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकायों के संबंध में समय-समय पर जारी वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।**

5. अवकाश नियमः- (1) कर्मचारियों का अवकाश समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार विनियमित होगा।

(2) विभिन्न किस्म के अवकाश प्रदान किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुसूची 1 के अनुसार होगा।

6. तैनाती और स्थानांतरणः- (1) सभी कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जो इस अधिकार को, उन शर्तों पर जो वह उचित समझता हो, किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त कर सकता है।

(2) सभी कर्मचारी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा यथावत प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, लोक हित में, किसी इकाई में किसी पद से किसी कर्मचारी को दूसरी इकाई में किसी अन्य समतुल्य पद पर स्थानांतरित अथवा किसी इकाई में किसी कर्मचारी को दूसरी इकाई में पद सहित स्थानांतरित कर सकता है।

7. प्रतिनियुक्तिः- (1) बोर्ड के कर्मचारियों को अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से दूसरे संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

(2) ऐसे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की शर्तें केन्द्र सरकार के समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएंगी।

8. यात्रा भत्ताः- बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी को जिसे दौरे पर या उसके विभागीय सेवाओं से जुड़े स्थानांतरण पर भेजा जाना अपेक्षित होगा उसे उन दरों पर जैसा केन्द्र सरकार के सदृश वेतनमान के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है के अनुसार यात्रा भत्ता स्वीकार्य होगा।

9. व्यवहार, अनुशासन, अपील और समीक्षाः- (1) बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में अनुशासन, अपील और समीक्षा से संबंधित सभी मामलों में, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 जैसे कि सदृश ग्रेड में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य हैं, लागू होंगे।

(2) बोर्ड के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अनुशासन और अपील के उद्देश्य के लिए जुर्माना लगाने का प्राधिकार अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में आचरण से संबंधित सभी मामलों में, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 जैसे कि सदृश ग्रेड में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य हैं, लागू होंगे।

10. व्याख्याः- इन शर्तों की व्याख्या करने या उन्हें लागू करने में यदि कोई संदेह या कठिनाई होती है, बोर्ड या अध्यक्ष केन्द्र सरकार के परामर्श से ऐसी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से सामान्य अनुदेश जारी कर सकती है।

indiacode

11. शिथिल करने की शक्तिः- जहां बोर्ड का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह केन्द्र सरकार के परामर्श से, आदेश द्वारा और लिखित में कारणों का उल्लेख करके, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के विषय में इन विनियमों के किसी प्रावधान को शिथिल कर सकता है।

12. मामले जिनके विषय में कोई प्रावधान नहीं किया गया हैः- बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित मामले जिसके विषय में इन विनियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है; इसके निर्णय के लिए केन्द्र सरकार को भेज दिया जाएगा।

13. व्यावृत्तिः- नारियल विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियम, 2003 बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 और नारियल विकास बोर्ड विनियम, 1982 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे नियमों, विनियमों, आदेशों, अनुदेशों जैसा कि केन्द्रीय सरकार के उन स्थानों पर स्थित कर्मचारियों के संगत ग्रेड अथवा स्तर के समनुरूप लागू होता हो, के अनुसार बोर्ड द्वारा किसी पहले किए गए अथवा लोप किए जाने वाले अथवा किए जाने की वैधता के पूर्वाग्रह के बिना होगा।

IndiaCode

अनुसूची - I

[नियम 5(2) देखें]

क्र. स.	वर्ग	आकस्मिक अवकाश/ प्रतिबधिंत अवकाश	अर्जित अवकाश/ अर्ध वैतनिक अवकाश/ प्रत्यावर्तित अवकाश/ प्रसूति/पैतृत्व अवकाश तथा संगरोध अवकाश	अतिरिक्त/विशेष आकस्मिक अवकाश/ अध्ययन अवकाश/ अदेय अवकाश/ विशेष अशक्तता अवकाश/ अस्पताल अवकाश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**मुख्यालय**			
(i)	समूह 'क'	अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष
(ii)	समूह 'ख'	सचिव	सचिव	अध्यक्ष
(iii)	समूह 'ग'	अनुभाग प्रमुख	सचिव	अध्यक्ष
(iv)	समूह 'घ'	अनुभाग प्रमुख	सचिव	अध्यक्ष
2.	**क्षेत्रीय कार्यालय**			
(i)	समूह 'क'	अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष
(ii)	समूह 'ख'	निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष
(iii)	समूह 'ग'	निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष
(iv)	समूह 'घ'	निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष
3.	**राज्य केन्द्र**			
(i)	समूह 'क'	अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष
(ii)	समूह 'ख'	उप निदेशक	उप निदेशक	अध्यक्ष
(iii)	समूह 'ग'	उप निदेशक	उप निदेशक	अध्यक्ष
(iv)	समूह 'घ'	उप निदेशक	उप निदेशक	अध्यक्ष
4.	**प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन फार्म**			
(i)	समूह 'क'	निदेशक वह क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अंतर्गत फार्म कार्यरत है।	निदेशक वह क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अंतर्गत फार्म कार्यरत है।	अध्यक्ष
(ii)	समूह 'ख'	निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, उप निदेशक, राज्य केन्द्र जिसके अंतर्गत फार्म कार्यरत है।	निदेशक वह क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अंतर्गत फार्म कार्यरत है।	अध्यक्ष
(iii)	समूह 'ग'	वरिष्ठ फार्म प्रबंधक/ फार्म प्रबंधक	उप निदेशक फार्म को नियंत्रित करने वाला राज्य केन्द्र	अध्यक्ष
(iv)	समूह 'घ'	वरिष्ठ फार्म प्रबंधक/ फार्म प्रबंधक	उप निदेशक फार्म को नियंत्रित करने वाला राज्य केन्द्र	अध्यक्ष

नोट: 15 दिन और इससे अधिक की निरंतर अवधि के लिए अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अवकाश प्रदान करने की उसके द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियों का प्रयोग मुख्य नारियल विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

IndiaCode

अनुसूची - II

(नियम 9(2) देखें)

अनुशासन तथा याचिका के उद्देश्यार्थ सक्षम प्राधिकारी

क्रर्मचारियों का वर्ग	नियुक्ति प्राधिकारी	दंड प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी तथा दंड की प्रकृति	अपीलीय प्राधिकारी	पुन:याचिका
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
समूह 'क'	बोर्ड	बोर्ड - सभी दंड	सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग	कृषि एवं सहकारिता के प्रभारी मंत्री
		अध्यक्ष - लघु दंड [केन्द्रीय लोक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा याचिका) नियम, 1965 के नियम 11 के (I) से (iv)]	बोर्ड	सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग
समूह 'ख'	बोर्ड	बोर्ड - सभी दंड	सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग	कृषि एवं सहकारिता के प्रभारी मंत्री
		अध्यक्ष - लघु दंड [केन्द्रीय लोक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा याचिका) नियम, 1965 के नियम 11 के (I) से (iv)]	बोर्ड	सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग
समूह 'ग'	अध्यक्ष	अध्यक्ष - सभी दंड	बोर्ड	सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग
		सचिव, नारियल विकास बोर्ड - लघु दंड [केन्द्रीय लोक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा याचिका) नियम, 1965 के नियम 11 के (I) से (iv)]	अध्यक्ष	बोर्ड
समूह 'घ'	अध्यक्ष	अध्यक्ष - सभी दंड	बोर्ड	सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग
		सचिव, नारियल विकास बोर्ड - लघु दंड [केन्द्रीय लोक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा याचिका) नियम, 1965 के नियम 11 के (I) से (iv)]	अध्यक्ष	बोर्ड

[फा.सं.14-14/89-बाग VI और फा.सं.273/91-प्रशासन/ना.वि. बोर्ड]

एच.पी. सिंह, अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड

IndiaCode